न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 190 सन 2024

अनवान :–

1. फुलसिह पुत्र कालूसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 30/9/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 131 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 05 की 10.08 बीधा कुल 20.08 बीघा भूमि वादी फुलसिह पुत्र कालूसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर को दिनांक 18.06.1971 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि वादी फुलसिह पुत्र कालूसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर के कब्जा काश्त में रही है।

रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 131 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 05 की 10.08 बीधा कुल 20.08 बीघा भूमि भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 131 की 10.00 बीधा के हाल खसरा न0 51 की 9.16 बीधा व साबिका खसरा न0 5 के हाल खसरा खसरा न0 50 की 12.06. बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है जो रोही मौजा थिराना के खसरा न0 51 की 2.4790हैक व खसरा न0 50 की 3.1110हैक कुल 5.5900हैक में पैमुद किये जाकर वादी के नाम बतौर गेरखातेदार वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज है जो वादी के कब्जा काश्त में आवंटन से लेकर निरन्तर चली आ रही है

वादी रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 131 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 05 की 10.08 बीधा कुल 20.08 बीघा भूमि हाल खाता संख्या 437/429 की कुल 5.5900हैक दर्ज है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आर रही है किसी प्रकार को कोई विवाद नही है वादी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 131 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 05 की 10.08 बीधा कुल 20.08 बीघा भूमि को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 131 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 05 की 10.08 बीधा कुल 20.08 बीघा भूमि हाल खाता संख्या 437/429 की 5.5900हैक भूमि का नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी कालुसिह को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 437/429 के खसरा न0 50 की 3.1110हैक व खसरा न0 51 की 2.4790हैक कुल 5.5900हैक [illegible] काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी [illegible] वादी को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो [illegible]लिये यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:41:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 437/429 के खसरा न0 50 की 3.1110हैक व खसरा न0 51 की 2.4790हैक कुल 5.5900हैक भूमि जो वादी को दिनांक 18.06.1971 , को आवंटन की गई थी जो वादी के नाम व कब्जा काश्त में चली आ रही है जो वादी के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के साक्ष्य सबुतों एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 131 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 05 की 10.08 बीधा कुल 20.08 बीघा भूमि वादी फुलसिह पुत्र कालूसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर को दिनांक 18.06.1971 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि वादी फुलसिह पुत्र कालूसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर के कब्जा काश्त में रही है।

रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 131 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 05 की 10.08 बीधा कुल 20.08 बीघा भूमि भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 131 की 10.00 बीधा के हाल खसरा न0 51 की 9.16 बीधा व साबिका खसरा न0 5 के हाल खसरा खसरा न0 50 की 12.06. बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है जो रोही मौजा थिराना के खसरा न0 51 की 2.4790हैक व खसरा न0 50 की 3.1110हैक कुल 5.5900हैक में पैमुद किये जाकर वादी के नाम बतौर गेरखातेदार वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज है जो वादी के कब्जा काश्त में आवंटन से लेकर निरन्तर चली आ रही है

वादी रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 131 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 05 की 10.08 बीधा कुल 20.08 बीघा भूमि हाल खाता संख्या 437/429 की कुल 5.5900हैक दर्ज है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आर रही है किसी प्रकार को कोई विवाद नही है वादी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 131 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 05 की 10.08 बीधा कुल 20.08 बीघा भूमि को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 131 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 05 की 10.08 बीधा कुल 20.08 बीघा भूमि हाल खाता संख्या 437/429 की 5.5900हैक भूमि का नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी कालुसिह को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 437/429 के खसरा न0 50 की 3.1110हैक व खसरा न0 51 की 2.4790हैक कुल 5.5900हैक भूमि का वादी के खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:41:06 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 437/429 के खसरा न0 50 की 3.1110हैक व खसरा न0 51 की 2.4790हैक कुल 5.5900हैक भूमि जो वादी को दिनांक 18.06.1971 , को आवंटन की गई थी जो वादी के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम व कब्जा काश्त में चली आ रही है जो वादी के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 131 की कुल 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 5 की 10.08 बीधा भूमि फुलसिह पुत्र कालुसिह जाति राजपुत निवासी थिराना को दिनांक 18.06.1971 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

अर्थात वाद भूमि वादी आवंटी फुलसिह पुत्र कालुसिह को दिनांक 18.06.1971 को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि वादी आवंटी फुलसिह के कब्जा काश्त में निरन्तर चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात वाद भूमि वादी को आवंटन होने की दिनांक से आदिनांक तक लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है किसी प्रकार का विवाद नही है कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज ने कोई विरोध नही किया गया है

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 131 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 05 की 10.08 बीधा कुल 20.08 बीघा भूमि भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 131 की 10.00 बीधा के हाल खसरा न0 51 की 9.16 बीधा व साबिका खसरा न0 5 के हाल खसरा खसरा न0 50 की 12.06. बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है जो रोही मौजा थिराना के खसरा न0 51 की 2.4790हैक व खसरा न0 50 की 3.1110हैक कुल 5.5900हैक में पैमुद किये जाकर वादी के नाम बतौर गेरखातेदार वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल वर्तमान जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है।

वादी फुलसिह पुत्र कालुसिह को रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 131 एवं 5 में भूमि आवंटन की गई थी जो हाल खसरा न0 50 व 51 में परिर्वतन हो चुकी है अर्थात हाल खसरा न0 50 ,51 की भूमि वादी फुलसिह पुत्र कालुसिह को दिनांक 18.06.1971 को आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से गैरखातेदारी दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी फुलसिह पुत्र कालुसिह को आवंटन दिनांक 18.06.1971 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी को तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वाद भूमि जो वादी को आवंटन की गई भूमि को गैरखातेदार दर्ज कर रखा जाना विधि विरूद्व है वाद भूमि को वादी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी को भूमि दिनांक 18.06.1971 को आवंटन की गई थी तथा वाद भूमि आंवटन होने के पश्चात लगातार [illegible] है जो प्रस्तुत आवंटन आदेश एव जमाबन्दी गिरदावारीयों से पूर्णत्या साबित है आवंटन होने के तीन वर्षो के पश्चात वादी को आवंटन की गई भूमि का खातेदार काश्तकार जमाबन्दी में दर्ज करवाने का अधिकारी था यदि सहवन से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज नही करने से वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:41:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदारी अधिकार समाप्त नही हो जाते है वादी कभी भी अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी फुलसिह को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि की कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:41:06 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी फुलसिह पुत्र कालुसिह जाति राजपुत साकिन थिराना (जो सामान्य जाति का सदस्य है) को रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 131 हाल खसरा न0 51 की 2.4790हैक एवं साबिका खसरा न0 5 हाल खसरा न0 50 की 3.1110हैक कुल 5.5900हैक भूमि आवंटन दिनांक 18.06.1971 को आवंटन की गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज कर रखा है अर्थात वाद भूमि वादी फुलसिह को आवंटन नियम 1957/70 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 437/429 के खसरा न0 50 की 3.1110हैक व खसरा न0 51 की 2.4790हैक कुल 5.5900हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/9/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:41:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. फुलसिह पुत्र कालूसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 190 सन 2024 निर्णय दिनांक – 30/9/2024

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 437/429 के खसरा न0 50 की 3.1110हैक व खसरा न0 51 की 2.4790हैक कुल 5.5900हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:41:06 IST
Reason: SelfAttested